

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

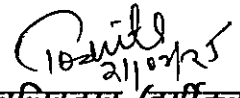
क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 678 / 2025 दिनांक :21.02.2025

श्रीमती प्रीति मुकेश परनामी (RJ00626), अपर सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, जयपुर महानगर—प्रथम को दिनांक 20.01.2025 से 24.01.2025 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 19.01.2025 एवं 25.01.2025 से 26.01.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती परनामी की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, जाली नोट प्रकरण, जयपुर महानगर—प्रथम ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, जयपुर महानगर—प्रथम के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

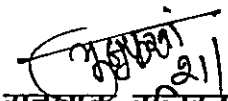

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/06/2010/1610

दिनांक :21.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर—प्रथम को उनके पत्रांक 595 दिनांक 28.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती प्रीति मुकेश परनामी (RJ00626), अपर सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, जयपुर महानगर—प्रथम।
4. अपर सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, जयपुर महानगर—प्रथम।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, जाली नोट प्रकरण, जयपुर महानगर—प्रथम।


सहायक रजिस्ट्रार